न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 139 / 2017
कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत – सनोद

उनवान

1. पूसालाल पुत्र स्व0 श्री रायचन्द जाति नायक निवासी ग्राम सनोद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. धानी पत्नी बालू
2. भागचन्द पुत्र बालू
3. सुशीला पुत्री बालू
4. मोहनी पत्नी छोटू
5. मंगल पुत्र छोटू
6. बलवीर पुत्र छोटू
7. चन्ता पुत्री छोटू
8. सुरजा पुत्री छोटू
9. लाली पुत्री छोटू
10. सन्जा पुत्री छोटू
11. रन्जा पुत्री छोटू
12. पूसा पुत्र लादू
13. रामा पुत्र लादू
14. रामनिवास पुत्र लादू
15. प्रेम पुत्री लादू
16. प्रहलाद पुत्र रतना
17. गणेश पुत्र रतना
18. भूरी पुत्री रतना
19. गीता पुत्री रतना
20. पेमा पत्नी हरजी
21. घीसू पुत्र हरजी पौत्र रतना
22. पूजा पुत्री हरजी पौत्री रतना
23. आरती पुत्री हरजी पौत्री रतना
24. शोभा पुत्री हरजी पौत्री रतना समस्त जातिगण नायक निवासीगण ग्राम सनोद तहसील नसीराबाद
25. बजरंग पुत्र श्रवण जाति चमार निवासी ग्राम सनो[illegible]
26. राजस्थान सरकार जरिये तहसील[illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

—— प्रतिवादीगण :–

वाद पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 [illegible]ज0 काश्त0 अधि0 195[illegible]

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

Scanned by CamScanner

-: निर्णय :- दिनांक :-11.5.18

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम सनोद पटवार क्षेत्र सनोद के खाता संख्या 337/637 किता 7 रकबा 0.69, खात संख्या 224/200 किता 1 रकबा 0.12, 547/485 किता 2 रकबा 0.90, खाता संख्या 542/480 किता 4 रकबा 0.72, खाता संख्या 510/457 किता 4 रकबा 0.39 वादी एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी /सहकाश्तकारी पुश्तैनी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण सहखातेदार/सहकाश्तकार है तथा संयुक्त रूप से काबिज है तथा वादग्रस्त आराजीयात वादी व प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि है। वादी एवं प्रतिवादीगण का आज दिवस तक बंटवारा नहीं हुआ है। अतः वादी को अपनी भूमि का हक व हिस्सा का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार बंटवारा किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अलग से खाता कायम किया जावे एवं इस अनुरूप राजस्व रेकार्ड में वादी को खातेदार घोषित किया जावे। उक्त आराजी का आदिनांक तक विभाजन नही हुआ है। जिस कारण प्रतिवादीगण उक्त आराजी पर दखलदांजी करते है। एवं अन्यत्र हस्तांतरण करने पर आमादा है।

अतः आराजी मुतनाजा का विभाजन किया जावे एवं प्रतिवादीगण को जरियें थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे।

पत्रावली कैम्प कोर्ट सनोद में पेश हुई। प्रतिवादी संख्या 2, 5, 12, 16, 17, 21 कैम्प कोर्ट में उपस्थित हुए व बंटवारे हेतु अपनी सहमति प्रकट की है।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी राजस्व अभिलेख में अविभाजित है। वादी व प्रतिवादीगण दोनो ही उक्त आराजी का विभाजन कराने हेतु सहमत है। वादग्रस्त आराजी के विभाजन से उभयपक्ष के हितों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पडेगा। शेष प्रतिवादीगण विभाजन प्रस्ताव के दौरान अपनी आपत्ती दर्ज करा सकते है। आराजी मुतनाजा का विभाजन भूमि की किस्म, मूल्य व लगान के आधार पर किया जाना ही न्यायोचित है।

अतः ग्राम सनोद पटवार क्षेत्र सनोद के खाता संख्या 337/637 किता 7 रकबा 0.69, खात संख्या 224/200 किता 1 रकबा 0.12, 547/485 किता 2 रकबा 0.90, खाता संख्या 542/480 किता 4 रकबा 0.72, खात संख्या 510/457 किता 4 रकबा 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की प्राथमिक डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 11.5.18 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (अजमेर)

Scanned by CamScanner

न्याय आपके द्वार 2018

प्राथमिक डिक्री व मुकदमें इन्द्राई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

पूसालाल बनाम धानी

दावा बाबत :— 53, 88, 188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर — 139/17
पेश करने की दिनांक — 9.10.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री वीरेन्द्र सिंह यादव (आर. ए. एस)—व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई स्वयं मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :—

ग्राम सनोद पटवार क्षेत्र सनोद के खाता संख्या 337/637 किंता 7 रकबा 0.69, खाता संख्या 224/200 किंता 1 रकबा 0.12, 547/485 किंता 2 रकबा 0.90, खाता संख्या 542/480 किंता 4 रकबा 0.72, खाता संख्या 510/457 किंता 4 रकबा 0.39 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार वादग्रस्त आराजी का बंटवारा बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विधिवत विभाजन उभयपक्ष की विधिवत उपस्थिति में तैयार कर इस न्यायालय में प्रस्तुत करे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बदस्तखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 11 माह 05 सन् **2018** को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified

Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)
उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner

अंतिम डिक्री व मुकदमें इब्ताई

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

पूसालाल बनाम धानी

दावा बाबत :– 53, 88, 188 रा.का.अधि 1955

राजस्व मुकदमा नम्बर –139/17
पेश करने की दिनांक – 9.10.17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू श्री राकेश कुमार गुप्ता (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुददई मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम सनोद के खसरा नम्बर 1391/5912, 1670, 1677 रकबा 0.09, 0.12, 0.07 पर पूसालाल पुत्र रायचन्द्र को, खसरा नम्बर 1391/5912/1, 1393/5911, 1669, 1677/1 रकबा 0.05, 0.04, 0.12, 0.06 पर धानी पत्नी बालू जाति नायक हि. 1/4, भागचन्द पुत्र बालू जाति नायक हि. 1/4, मोहनी पत्नी छोटू जाति नायक हि. 1/6, मंगल पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/6, बलवीर पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/6 को, खसरा नम्बर 2977/1, 2970/1, 2972, 2971 रकबा 0.06, 0.06, 0.18, 0.06 पर पूसालाल पुत्र रायचन्द्र को, खसरा नम्बर 2970, 2977 रकबा 0.08, 0.28 पर मोहनी पत्नी छोटू जाति नायक हि. 1/18, मंगल पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/18, बलबीर पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/18, धानी पत्नी बालू जाति नायक हि. 1/12, भागचन्द पुत्र बालू जाति नायक हि. 1/12, लादू पुत्र फूला जाति नायक हि. 1/3, रतना पुत्र फूला जाति नायक हि. 1/3 को खसरा नम्बर 596/1, 4687/1, 4687/6500/1 रकबा 0.20, 0.25, 0.06 पर पूसालाल पुत्र रायचन्द्र को, खसरा नम्बर 596, 4687, 4687/6500 रकबा 0.20, 0.25, 0.06 पर धानी पत्नी बालू जाति नायक हि. 1/4, भागचन्द पुत्र बालू जाति नायक हि. 1/4, मोहनी पत्नी छोटू जाति नायक हि. 1/6, मंगल पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/6, बलवीर पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/6 को, खसरा नम्बर 3067/1, 3068, 3055 रकबा 0.04, 0.10, 0.06 पर पूसालाल पुत्र रायचन्द्र को, खसरा नम्बर 3067 रकबा 0.13 पर बजरंग पुत्र श्रवण जाति बैरवा हि. पूर्ण को, खसरा नम्बर 3054 रकबा 0.06 पर मोहनी पत्नी पांचू जाति नायक हि. 1/3, मंगल पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/3, बलवीर पुत्र छोटू जाति नायक हि. 1/3 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करें। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक— — को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करें।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 23 माह 11 सन् 2021 को जारी की गयी।

मुददई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Gupta
Date: 2022.10.06 16:58:39 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Scanned by CamScanner